


उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या 3941 / ए-2 / 380 दिनांक 31.10.2014
कार्यालय आदेश


अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म०) के अनुमोदन दिनांक 21.10.2014 के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1-	046046	जागृति विहार (विस्तार) योजना सं०-11, मेरठ में स्व वित्त पोषित योजना-2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित एफ-64 प्रकार के 32 नग (जी+3) भवनों का निर्माण कार्य।	331.54	101/45

- 1- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- 2- कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- 3- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई०डी० नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 4- उक्त कार्य प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 1 वर्ष 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- 5- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- 6- निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
- 7- आवास आयुक्त (म०) के निर्देशान्तर्गत उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में उच्चतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाय। कार्य की गुणवत्ता की चेकिंग सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवश्य ही सुनिश्चित की जाय।
- 8- प्रश्नगत कार्य की वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।
- 9- प्रश्नगत कार्य की निविदा एकल गुप में आमंत्रित की जाय।


(एस०के०रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)

- पृ०सं०: 3941/उक्त / 380 दिनांक: 31.10.2014
- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
 3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/द्वितीय वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
 5. अधिशासी अभियन्ता(मु०)/निर्माण खण्ड-08, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
 6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 8. गार्ड फाइल हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)